परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)

भर्ती सूचना

भर्ती सूचना संख्या प.ऊ.शि.सं./02/2024

1. परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के विषय में

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (प.ऊ.शि.सं.) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित 15 केन्द्रों पर 30 विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालयों का संचालन करती है। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट www.aees.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र.सं.	केंद्रो के स्थान		
	स्थान	जिला	राज्य
1	अणुशक्तिनगर	मुंबई	महाराष्ट्र
2	तारापुर	पालघर	महाराष्ट्र
3	कैगा	उत्तर कन्नड़	कर्नाटक
4	कुडनकुलम	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
5	कलपक्कम/अणुपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु
6	मैसूर	मैसूर	कर्नाटक
7	हैदराबाद	हैदराबाद	तेलंगाना
8	ऑस्कम	छत्रपुर	ओडिशा
9	जादूगुड़ा/नरवापहाड़/तुरामडीह	पूर्वी सिंहभूम	झारखंड
10	मणुगुरु	भद्राद्री कोठागुडेम	तेलंगाना
11	नरौरा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
12	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
13	इंदौर	इंदौर	मध्य प्रदेश
14	काकरापार	व्यारा	गुजरात
15	पझयाकायल	तूतीकोरिन	तमिलनाडु

2. प.ऊ.शि.सं. लेवल 12 के सेल 1 में **प्रधानाचार्य [ग्रुप ए पद]** और लेवल 7 के सेल 1 में **विशेष शिक्षक [ग्रुप बी पद]** की भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। वेतन और भत्ते सामन्यत: प.ऊ.शि.सं. द्वारा समय-समय पर अपनाए गए नियमों की सीमा तक केंद्र सरकार के वेतन मेट्रिक्स के नियमों के अनुसार हैं। रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:

श्रेणी	रिक्तियों की संख्या	
	प्रधानाचार्य	विशेष शिक्षक
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)- नॉन- क्रीमी लेयर	3	1
अनारक्षित (यूआर)	3	1
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	0	1
कुल	6	3

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ये घट या बढ़ सकती हैं।

3. **प्रधानाचार्य पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता एवं कार्य अनुभव**

3.1 **आवश्यक योग्यताएँ**

ए) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समग्र कम से कम 50% अंकों या समकक्ष सीजीपीए के साथ मास्टर डिग्री।

बी) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. शिक्षण डिग्री।

सी) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता।

3.2 **कार्य अनुभव**

(i) केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में समान पद या प्रधानाचार्य पद धारण करने वाले व्यक्ति;

या

(ii) केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में पीजीटी के रूप में 05 वर्ष और उप-प्रधानाचार्य के रूप में 02 वर्ष की संयुक्त सेवाओं के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में उप-प्रधानाचार्य;

या

(iii) केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में लेवल 8 में कम से कम 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ पीजीटी या प्रवक्ता का पद धारण करने वाले व्यक्ति।

3.3 **वांछनीय:** हिंदी और कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
ध्यान दें: विशेष शिक्षा में बी.एड. डिग्री रखने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं हैं।

4. **विशेष शिक्षक पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएँ**

4.1 किसी भी विषय में तीन वर्ष की स्नातक डिग्री

4.2 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समग्र कम से कम 50% अंकों या समकक्ष सीजीपीए के साथ के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा)

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समग्र कम से कम 50% अंकों या समकक्ष सीजीपीए के साथ विशेष शिक्षा के अलावा किसी भी विषय में बी.एड. और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समग्र कम से कम 50% अंकों या समकक्ष सीजीपीए के साथ विशेष शिक्षा के अलावा किसी भी विषय में बी.एड और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर प्रोफेशनल डिप्लोमा।

4.3 इस उद्देश्य के लिए एनसीटीई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) (पेपर II) में उत्तीर्ण।

4.4 अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता आवश्यक है।

4.5 **वांछनीय:** हिंदी और कंप्यूटर में काम करने का ज्ञान वांछनीय है।

5. आयु सीमा एवं छूट-

5.1 **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आयु:**

आयु सीमा	प्रधानाचार्य	विशेष शिक्षक
न्यूनतम आयु	35 वर्ष	18 वर्ष
अधिकतम आयु	*50 साल (*आयु में छूट सहित अधिकतम 55 वर्ष)	35 वर्ष

5.3 आयु में छूट: ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम छूट निम्नानुसार होगी:

क्र.सं. नहीं।	**व्यक्तियों की श्रेणी**	**आयु में छूट/रियायत की सीमा**
(ए)	अन्य पिछड़ा वर्ग [नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल)] उम्मीदवार	3 वर्ष
(बी)	महिला उम्मीदवार	10 वर्ष
(सी)	केंद्र सरकार में कर्मचारी	5 साल
(डी)	दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)- केवल प्रधानाचार्य के पद के लिए (i) अन्य पिछड़ा वर्ष (ii) अनारक्षित	 13 वर्ष 10 वर्ष
(इ)	पूर्व-सैनिक और कमीशंड अफसर जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की सैन्य सेवाएं दी हैं, उन्हें निम्नलिखित के तहत ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्षों की रियायत है: (i) सुपुर्द काम (एसाइनमेंट) पूर्णता (कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युति या सेवा-मुक्ति के अलावा जिनका सुपुर्द काम एक वर्ष में पूर्ण किया जाना नियत है सहित) पर; **या** (ii) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक अपंगता या अविधिमान्यकरण पर।	5 वर्ष

टिप्पणी:

क) ऊपर्युक्त आयु सीमा की सभी रियायतें समवर्ती हैं अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक रियायतों के लिए पात्र है तो उस व्यक्ति को उच्चतम अनुमत्य सीमा की केवल एक ही रियायत मिलेगी।

ख) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में रियायत केवल उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही स्वीकार्य होगी।

6. सामान्य आवश्यकताएं और जानकारी:

6.1 उम्मीदवार जो भारत में कहीं भी काम करने के इच्छुक हैं, केवल वे ही आवेदन करें।

6.2 पात्रता शर्तों और उम्मीदवारों के चयन के तरीके के बारे में प.ऊ.शि.सं. का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

6.3 **यात्रा भत्ता: केवल साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर** बाहर से आने वाले पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार, सबसे छोटे मार्ग से आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का रेल किराया या साधारण राज्य परिवहन बस की किराया राशि किराया भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं है जो पहले केंद्र / राज्य सरकार के निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय सरकारी संस्थानों और पंचायतों की सेवा में हैं।

6.4 हर पहलुओं से सभी उम्मीदवारों की पात्रता (अर्थात आयु सीमा, अनिवार्य योग्यता और अन्य मानदंड आदि) निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को संशोधित किए जाने की स्थिति में, हर पहलुओं से उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि नोटिस में दर्शाई गई प्रारंभिक तिथि जैसी ही रहेगी।

6.5 उम्मीदवारों की शैक्षिक और शिक्षण योग्यता के लिए पात्रता पूरी तरह से इस भर्ती नोटिस में निर्धारित पात्रता के अनुसार ही होगी।

6.6 निर्धारित अनिवार्य योग्यता के संबंध में "समकक्ष", यदि नोटिस में उल्लेख किया गया है, तो यह उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे बोर्ड/विश्वविद्यालय या सक्षम प्राधिकरण, जिससे उसने शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, द्वारा जारी समकक्षता के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र (संख्या और तारीख के साथ आदेश / पत्र) जमा करें, ऐसा न करने पर उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट करें कि निर्धारित अनिवार्य योग्यता में इसका उल्लेख नहीं होने की स्थिति में समकक्षता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.7 मुंबई शहर में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शामिल करने का प.ऊ.शि.सं. प्रयास करेगी।

6.8 उम्मीदवार जो सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों / सरकारी स्वायत्त संस्थानों / केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों में काम कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपने मूल संगठन को सूचित करें। साक्षात्कातर/ कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर दस्तावेज़ सत्यापन के समय, उम्मीदवारों, यदि वे पद के लिए चयनित होते हैं, को अपने वर्तमान नियोक्ता से उम्मीदवार को सेवा मुक्त करने के लिए जारी मूल 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) और सतर्कता अनापत्ति भी जमा करनी होगी, ऐसा नहीं किए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6.9 केवल पात्रता किसी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए अधिकृत नहीं करती। प.ऊ.शि.सं को किसी भी स्तर पर आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

6.10 उम्मीदवार नोट करें कि लिखित परीक्षा में उनका प्रवेश ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरी तरह से अनंतिम होगा। यह भर्ती सूचना में निर्दिष्ट मूल दस्तावेजों के संदर्भ में सभी पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन होगा। यदि भर्ती / चयन की पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है या पात्रता मानदंड के अनुरूप नहीं है तो उस आवेदक की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद भी खारिज हो सकती है।

6.11 उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा जारी नवीनतम (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र (पीवीसी) जमा करना होगा। उम्मीदवार जो पीवीसी प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, उन्हें पीवीसी प्राप्त करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा किए गए आवेदन के लिए प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए आवेदन की पावती (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं) प्रस्तुत करनी होगी। उक्त आवश्यकता के अनुसार पीवीसी / पीवीसी के लिए आवेदन जमा करने की पावती प्रस्तुत नहीं कर सकने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

6.12 अनारक्षित (यूआर) पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भारत सरकार के अनुसार अनुलग्नक- I के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.13 ओ.बी.सी. (नॉन क्रीमी लेयर) से संबंधित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में रोजगार हेतु जारी निर्धारित प्रोफार्मा में अनुलग्नक-II के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार व्यक्ति/ वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। इस संबंध में केवल वित्तीय वर्ष **2023-24** के लिए जारी किया गया नॉन क्रीमी लेयर का विधिमान्य प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।

6.14 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार [बधिर (D) और सुनने में कठिनाई (HH)] केवल प्रधानाचार्य के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और जो आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अनुलग्नक-III में इंगित, यथालागू फॉर्म V, VI और VII में प्रोफॉर्मा के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से विधिमान्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। विकलांगता का प्रतिशत **40%** से कम नहीं होगा।

6.15 ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को अनुलग्नक-IV के अनुसार डीओपीटी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार केंद्र सरकार में रोजगार के लिए जारी किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र की एक स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करनी होगी। इस संबंध में केवल वित्तीय वर्ष **2023-24** के लिए जारी ईडब्ल्यूएस का विधिमान्यि प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।

6.16 परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था बिना कोई कारण बताए और बिना किसी अधिसूचना के किसी भी या सभी पदों को वापस लेने/ न भरने या भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी अवस्था में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

6.17 इस भर्ती के संबंध में कोई भी अद्यतन सूचना केवल परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की वेबसाइट (**www.aees.gov.in**) पर उपलब्ध होगी। सभी उम्मीदवारों को अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प.ऊ.शि.सं. वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

6.18 प.ऊ.शि.सं. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले भर्ती सूचना में कोई भी सुधार/ परिवर्तन / शामिल करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जिसके लिए उम्मीदवारों को ऐसे परिवर्तनों या अन्य किसी अद्यतन सूचना के लिए प.ऊ.शि.सं. वेबसाइट (**www.aees.gov.in**) देखने की सलाह दी जाती है।

6.19 एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

6.20 हिंदी और अंग्रेजी भाषा के भर्ती नोटिस के पाठ के संदर्भ में किसी भी विसंगति के मामले में, भर्ती सूचना का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

6.21 लिखित परीक्षा के लिए स्क्रीन्ड-इन उम्मीदवारों की सूची और साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट (www.aees.gov.in) पर प्रदर्शित की जाएगी।

6.22 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को कोई भी कठिनाई होने पर, वे ईमेल आईडी: pers-conf@aees.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। किसी अन्य ई-मेल आईडी पर भेजे गए ईमेल पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

6.23 परीक्षा हॉल के अंदर पुस्तकों, मोबाइल फोन, टैब, कैलकुलेटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन उम्मीदवार को अयोग्य कर देगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के लिए आते समय उपर्युक्त वस्तुओं को न लाएं क्योंकि परीक्षा केंद्र पर उन्हें सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

6.24 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए केवल उन्हीं ओबीसी उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा जिनकी जाति केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल होगी और ओबीसी उम्मीदवार नॉन-क्रीमी लेयर से होगा।

6.25 पात्रता के लिए योग्यता के अलावा पहले से अर्जित/जारी अतिरिक्त योग्यताओं का भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख किया जाए। ऐसा न करने पर उक्त अतिरिक्त योग्यता को उनके चयन की स्थिति में सेवा अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जायेगा।

7. आवेदन ऐसे करें:

7.1 जो व्यक्ति सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे निर्धारित अवधि के अंदर प.ऊ.शि.सं. के वेबसाइट (https://aees.gov.in) के भर्ती टैब में दिए गए लिंक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeddkoCPO_3yMlpCyuSvsDvNGRHdAKcjw-fBiToMCJ0AoHX7A/viewform?usp=sf_link के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और गूगल फॉर्म भर सकते हैं।

गूगल फॉर्म भरने के लिए कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

क) फॉर्म खोलने के लिए दिए गए गूगल लिंक पर पहुंचे।

ख) आगे बढ़ने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़े।

ग) सभी आवश्यक फ़ील्ड सटीक और पूरी जानकारी के साथ भरें।

घ) सुनिश्चित करें कि आप सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

ङ) सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक समर्थक दस्तावेज़ प्रदान कर रहे हैं, यदि मांगे गए हैं।

च) सटीकता और पूर्णता के लिए अपने उत्तरों की दोबारा जांच करें।

छ) अपना पूरा फॉर्म भेजने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

ज) अपने संदर्भ के लिए पुष्टिकरण संदेश का रिकॉर्ड रखें।

झ) यदि आपके कोई प्रश्न हैं या कोई समस्या आती है, तो सहायता के लिए ईमेल आईडी pers-conf@aees.gov.in पर परीक्षा आयोजकों को संपर्क करें।

ञ) कृपया ध्यान दें कि ये निर्देश इस विशेष परीक्षा के लिए प्रदान किए गए गूगल फॉर्म के लिए विशिष्ट हैं।

7.2 विज्ञापन के साथ दिया आवेदन फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क, यदि कोई हो, की रसीद की प्रति स्वप्रमाणित अनुलग्नकों के एक सेट के साथ लिफाफे परं आवेदित पद लिखकर प्रशासनिक अधिकारी-III, परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था, केंद्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, (प.ऊ.कें. विद्यालय-6 के पास), अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094 को भेजें। अर्हक और शैक्षिक डिग्री के अध्ययन के सभी वर्षों की अंकतालिका की प्रति और डिग्री प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए, अन्यथा आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.3 आवश्यक संलग्नकों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 12.07.2024 से 10 दिनों के अंदर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। यदि 10वां दिन प.ऊ.शि.सं. के लिए अकार्य दिवस है, तो अगले कार्य दिवस को अपेक्षित संलग्नकों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त करने का अंतिम दिन

माना जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डाक में किसी भी देरी से बचने के लिए पहले ही आवेदन इस तरह भेजें कि वह निर्धारित तिथि से पहले प.ऊ.शि.सं. तक पहुंच जाए।

7.4 आवेदन करते समय उम्मीदवारों के पास एक विधिमान्य व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना आवश्यक है। इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखा जाए। यदि ईमेल के माध्यम से प.ऊ.शि.सं. द्वारा भेजी गई कोई भी सूचना उम्मीदवारों को प्राप्त नहीं होती या इसके विपरीत, तो प.ऊ.शि.सं. जिम्मेदार नहीं होगी।

7.5 उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि आदि वहीं भरे जाएं जैसा कि कक्षा 10 के प्रमाण पत्र / अंक पत्र में दर्ज हैं। नाम परिवर्तन के मामले में, आवेदन पत्र में गज़ट अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई भी अंतर उम्मीदवार को अनअर्ह कर देगा।

7.6 आवेदन का कोई अन्य माध्यम/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब भी आवेदन पत्र के संबंधित स्थान पर छूट श्रेणी दर्ज की जाएगी तो आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट स्वत: स्क्रीन पर दिखाई देगी।

8. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:**

I) नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ । अस्पष्ट फोटोग्राफ (छोटा फोटोग्राफ/साइड फेसिंग फोटोग्राफ/गागल्स के साथ फोटोग्राफ/कैप के साथ फोटोग्राफ/ बिना फोटोग्राफ, आवश्यकतानुसार आकार नहीं आदि) वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

II) एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो भी लागू हो, की प्रति।

III) 6.8 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

IV) जन्म तिथि का प्रमाण (दसवीं कक्षा का अंक-पत्र / दसवीं कक्षा का प्रवेश पत्र / दसवीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र)

V) नाम परिवर्तन यदि कोई हो, के मामले में राजपत्र अधिसूचना।

VI) 6.14 में यथाइंगित पीडब्ल्यूबीडी यदि लागू हो, के दावे का साक्ष्य।

VII) एचएससी/+2/इंटरमीडिएट का अंकपत्र ।

VIII) स्नातक के सभी वर्षों की सेमेस्टर या वर्षवार अंक-पत्र।

IX) स्नातक का डिग्री प्रमाणपत्र/ अनंतिम प्रमाणपत्र ।

X) स्नातकोत्तर के सेमेस्टर या वर्षवार अंक पत्र ।

XI) विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा जीपीए / सीजीपीए से प्रतिशत में रूपांतरण के लिए स्नातकोत्तर के लिए ट्रांसक्रिप्ट, यदि अंक-पत्र में अंक प्रतिशत में इंगित नहीं किए गए हैं।

XII) स्नातकोत्तर का डिग्री प्रमाणपत्र / अनंतिम प्रमाण पत्र ।

XIII) बी.एड. का सेमेस्टर या वर्षवार अंक-पत्र।

XIV) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा यदि लागू हो, का सेमेस्टर/वर्षवार अंक पत्र।

XV) विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर प्रोफेशनल डिप्लोमा यदि लागू हो, का सेमेस्टर/वर्षवार अंक पत्र।

XVI) सीटीईटी (प्रश्नपत्र-॥) यदि लागू हो, का अंकपत्र/ प्रमाणपत्र।

XVII) 6.25 में यथाउल्लिखित अतिरिक्त योग्यता जो पहले से ही अर्जित /जारी है, का प्रमाणपत्र/ साक्ष्य।

XVIII) आवेदन शुल्क रसीद यदि कोई हो, की प्रति।

XIX) 3.2 में यथाउल्लिखित कार्य-अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति

9. **आवेदन शुल्क और भुगतान का माध्यम:**

9.1 उम्मीदवारों को लिंक: https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm पर जाकर और आवश्यक जानकारी दर्ज करके एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से रु. 750/- (केवल सात सौ पचास) का शुल्क जमा करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन भुगतान विंडो 12.07.2024 तक उपलब्ध रहेगी।

9.2 महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान मे छूट है।

10. साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के समय जमा/प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

उम्मीदवार को सत्यापन के लिए बिंदु संख्या 8 में बताए गए दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।

11. चयन का तरीका

उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जायेगा

11.1 लिखित परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	लिखित परीक्षा के लिए परीक्षण घटक/पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	लिखित परीक्षा की अवधि
प्रधानाचार्य पद हेतु				
1.	सामान्य अंग्रेजी	10	10	03 घंटे
2.	सामान्य हिंदी	10	10	
3.	सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे	10	10	
4.	तार्किक बुद्धि	10	10	
5.	कंप्यूटर का ज्ञान	10	10	
6.	मात्रात्मक अभिक्षमता	10	10	
7.	बाल विकास एवं शिक्षण	15	15	
8.	शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, आरटीई अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ और विद्यालय संगठन एवं प्रबंधन	15	15	
9.	शिक्षण पद्धति	10	10	
10	प्रशासन एवं वित्त 1. सीसीएस (आचरण) नियम 2. सीसीएस (सीसीए) नियम 3. मौलिक एवं अनुपूरक नियम 4. सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972 5. टीए नियम एवं एलटीसी नियम, 1988 6. चिकित्सा सेवा नियम 7. सीसीएस पेंशन नियम, 1972 एवं एनडीसीपीएस 8. सामान्य वित्तीय नियम- 2017, आर एंड पी नियम 9. भारत सरकार की जीईएम और ई-खरीद प्रणाली 10. आयकर एवं सेवा कर 11. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम , 1960। 12. आरटीआई अधिनियम, 2005 13. राजभाषा नियम, 1976 14. बुनियादी लेखांकन और प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत	100	100	
विशेष शिक्षक के पद के लिए				
1	1. सामान्य ज्ञान 2. तर्क 3. संख्यात्मक निपुणता 4. भाषा प्रवीणता (i) अंग्रेज़ी (ii) हिंदी 5. *शिक्षण पद्धति* 6. विषय ज्ञान- बी.एड. (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद और एनसीटीई के दिशानिर्देशों के अनुसार। कुल मार्क	5 5 5 5 5 10 65 ---------------- 100	5 5 5 5 5 10 65 ----------- 100	2 घंटे

टिप्पणी:

1. सभी स्क्रीन्ड–इन आवेदकों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी।
2. सभी प्रश्न समान भारिता और 4 संभावित उत्तरों साथ बहु–विकल्पीय प्रकार के होंगे।
3. गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।
4. सामान्य हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा।
5. अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस पदों के लिए आवेदन करने वाले और 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, और आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले और लिखित परीक्षा में 54% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने के पात्र होंगे। उपर्युक्त नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा में किसी श्रेणी के लिए अर्ह उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में, लिखित परीक्षा में अर्हता के लिए अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को घटाने (किंतु अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस रिक्तियों के लिए 55% और ओबीसी-एनसीएल रिक्तियों के लिए 49% से कम नहीं) का अधिकार प.ऊ.शि.सं. को होगा। केवल लिखित परीक्षा में अर्ह होना ही उम्मीदवार को साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा के लिए पात्र नहीं बनाता है।

11.2 प्रधानाचार्य पद के लिए साक्षात्कार और विशेष शिक्षक पद के लिए कौशल परीक्षा:

11.2.1 **प्रधानाचार्य पद के लिए साक्षात्कार**: लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सूची में से उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

11.2.2 **विशेष शिक्षक के पद के लिए कौशल परीक्षा**: कौशल परीक्षा अर्हता प्रकृति की होगी और "गो/नो गो" आधार पर आयोजित की जाएगी। शिक्षण कौशल के लिए परीक्षा चॉक और बोर्ड आधारित परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को विषय उन्मुख विषय दिया जाएगा। उम्मीदवारों को समिति के समक्ष अपनी शिक्षण क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। कौशल परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को 'गो' या 'नो गो' दिया जाएगा।

11.2.3 **साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या:**

लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सूची में से योग्यता के क्रम में निम्नलिखित संख्या में उम्मीदवारों को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

पद	रिक्तियों की संख्या	साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
प्रधानाचार्य	3-अन्य पिछड़ा वर्ग	15
	3- अनारक्षित	10
विशेष शिक्षक	1- अनारक्षित	5
	1- अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	1-ईडब्ल्यूएस	5

11.2.4 **प्रधानाचार्य पद हेतु उम्मीदवारों का पैनल बनाना:**

i. साक्षात्कार में अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले और 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों और आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले और 54% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों पर अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए विचार किया जाएगा।

ii. आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित पदों के लिए आवेदन करते हैं; लिखित परीक्षा और साक्षात्कार अंकों में किसी भी रियायत के हकदार नहीं हैं। उन्हें सभी पहलुओं में अनारक्षित उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

iii. अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार योग्यता के आधार पर होगा (उम्मीदवार द्वारा अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में अलग-अलग क्रमशः 60% और 54% और इससे अधिक अंक प्राप्ति के तहत)। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए भारिता (वेटेज) 50:50 होगा।

iv. समान कुल अंक (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, पैनल बनाने के लिए टाई ब्रेकर का निर्णय निम्नलिखित है:

टाईब्रेकर1: पैनल में शामिल होने पर विचार करने के लिए आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाता है।

टाई ब्रेकर 2: जिस उम्मीदवार का पहला नाम वर्णमाला क्रम में पहले आता है, उसे पैनल में शामिल करने के लिए उच्च स्थान दिया जाता है।

11.2.5 **विशेष शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनाना:**

i. जिन उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा में 'गो' मिला है, केवल उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में पैनल में शामिल किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा में 'नो गो' मिलता है, उन्हें लिखित परीक्षा में उनकी योग्यता के बावजूद पैनल में शामिल करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

ii. लिखित परीक्षा में समान अंक और कौशल परीक्षा में 'गो' प्राप्त करने की स्थिति में, पैनल बनाने के लिए टाई ब्रेकर का निर्णय निम्नलिखित प्रकार होगा:
टाईब्रेकर1: पैनल में शामिल होने पर विचार करने के लिए आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाता है।
टाई ब्रेकर 2: जिस उम्मीदवार का पहला नाम वर्णमाला क्रम में पहले आता है, उसे पैनल में शामिल करने के लिए उच्च स्थान दिया जाता है।

11.2.6 i) पैनल की चयन सूची में शामिल किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या योग्यता के क्रम में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों की एक प्रतीक्षा सूची भी योग्यता के क्रम में शेष पैनल में शामिल उम्मीदवारों से तैयार की जायेगी।

ii) चयन सूची के उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में रिक्ति उत्पन्न होने पर रिक्तियों के लिए पद की पेशकश की जाएगी।

iii) यदि चयन सूची के उम्मीदवार नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं/निर्धारित समय के भीतर सेवाभार नहीं ग्रहण करते तो प्रतीक्षा सूची संचालित की जाएगी।

11.3 चिकित्सा परीक्षा:-

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच की जाएगी जिनके नाम पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना है। उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और कर्तव्यों के कार्यकुशल निर्वहन में बाधा डालने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। उम्मीदवार जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाले चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी नियुक्ति नहीं की जायेगी।

12. महत्वपूर्ण तारीख:

क्र.सं.	आयोजन	तारीख
1	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की प्रारंभ तिथि	22.06.2024
2	ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	12.07.2024
3	आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि	12.07.2024
5	लिखित परीक्षा की तारीख	प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा
6	अस्थायी उत्तर कुंजी का प्रदर्शन	लिखित परीक्षा की तारीख से 3 दिनों के अंदर
7	ऑनलाइन माध्यम से अस्थायी उत्तर कुंजी में विसंगतियों की रिपोर्ट करने की समय सीमा	अनंतिम उत्तर कुंजी प्रदर्शित होने के 72 घंटों के अंदर

13. अस्थायी उत्तर कुंजी में विसंगतियों की सूचना:

13.1 लिखित परीक्षा के बाद अस्थायी उत्तर कुंजी परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है अस्थायी उत्तर कुंजी देखने के लिए नियमित अंतराल पर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की वेबसाइट देखते रहें। उम्मीदवारों उत्तर कुंजी को ध्यान से देख लें और विसंगित यदि कोई हो, को केवल ऑनलाइन माध्यम से उपर्युक्त समयावधि में सूचित करें। अस्थायी उत्तर कुंजी के संबंध में निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त किसी वििसंगति की अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करने से पूर्व समीक्षा की जायेगी और इस संबंध में प.ऊ.शि.सं. का निर्णय अंतिम होगा। इसके आगे उत्तर कुंजी के संबंध में किसी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

13.2 यदि लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिया गया कोई प्रश्न गलत पाया जाता है या किसी विशेष प्रश्न के लिए दिए गए सभी विकल्प गलत पाए जाते हैं या एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं (उम्मीदवारों द्वारा समय- सीमा के अंदर दावा और प.ऊ.शि.सं. द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद), तो लिखित परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवारों को उस प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, भले ही उम्मीदवार ने प्रश्न का उत्तर दिया हो या नहीं।

13.3 प.ऊ.शि.सं. संशोधित उत्तर कुंजी, यदि आवश्यक हो, प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट के भर्ती टैब पर विसंगतियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रदर्शित करेगा।

13.4 संशोधित/अंतिम उत्तर कुंजी प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के दिन से केवल 10 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए सार्वजनिक अवलोकन हेतु उपलब्ध होगी।

14. **सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के लिए स्थान**

14.1 लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/कौशल परीक्षा मुंबई केंद्र पर आयोजित होंगे।

14.2 लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/कौशल परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम और अन्य विवरण केवल प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट (www.aees.gov.in) पर अधिसूचित किए जाएंगे।

15. **आवेदन/उम्मीदवारी अस्वकृति/ रद्द होने के कारण:-**

निम्नलिखित सभी या किसी एक, इन्हीं तक सीमित नहीं, की अवस्था में आवेदकों के आवेदन/उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द/अस्वीकार किए जाने के लिएं संभाव्य हैं:

I. आवेदन अधूरे भरे होने पर।

II. हस्ताक्षर में कोई भिन्नता (आवेदन पत्र के प्रिंट आउट पर किए गए हस्ताक्षर और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के समय प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के स्व-सत्यापन के लिए हस्ताक्षर और साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने के समय किए गए नमूना हस्ताक्षर)।

III. आवेदन पत्र पर अस्पष्ट फोटोग्राफ (छोटा फोटोग्राफ/साइड फेसिंग फोटोग्राफ/गॉगल्स के साथ फोटोग्राफ/कैप/ टोपी के साथ फोटोग्राफ/फोटोग्राफ नहीं होना/फोटो का आकार आवश्यकतानुसार नहीं होना आदि)।

IV. गैर-छूट वाले उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान न करना।

V. निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना।

VI. पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करना।

VII. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, कार्य-अनुभव, आयु नहीं रखना।

VIII. साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।

IX. लिखित परीक्षा में किसी भी कदाचार में लिप्त होना।

X. समान पद के एक से अधिक विषयों में उम्मीदवार के आवेदन करने; ऐसे मामले में सभी पदों के लिए किए गए आवेदन निरस्त हो जायेंगे।

XI. अन्य कोई अनियमितता।

16. उम्मीदवारों द्वारा चिह्नित उत्तर, ऑनलाइन आवेदन और अन्य संबंधित रिकॉर्ड चयन सूची की घोषणा की तारीख से केवल छह महीने की अवधि तक संरक्षित रखे जाएंगे, और उसके बाद, ये नष्ट कर दिए जाएंगे।

17. इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल मुंबई के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के अधीन होगा।

18. **प.ऊ.शि.सं. का निर्णय अंतिम:**

पात्रता, आवेदनों की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता, झूठी सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा का आयोजन, लिखित परीक्षा के केंद्रों का आबंटन, योग्यता सूची तैयार करना, पदस्थापित करने का केंद्र, कदाचार में लिप्त होने के कारण रोक (डिबारमेंट) के संबंध में परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ / पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. **फोटो पहचान पत्र के रूप में स्वीकृत दस्तावेजों की सूची:**

I. आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट

II. मतदाता पहचान पत्र

III. विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस

IV. पैन कार्ड

V. विधिमान्य पासपोर्ट

VI. विधिमान्य नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी / पी.एस.यू./निजी)

VII. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो सहित अन्य कोई विधिमान्य पहचान पत्र

किसी भी रूप में शिफारिस को उम्मीदवारों की अयोग्यता माना जायेगा।

अनुलग्नक:

1. **अनुलग्नक- I (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप)**
2. **अनुलग्नक- II (भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)**
3. **अनुलग्नक- III (दिव्यांगता का प्रमाणपत्र – फॉर्म-V, फॉर्म- VI, फॉर्म- VII)**
4. **अनुलग्नक- IV (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप)**